

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न क्र : 1132  
28 , 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न त

स्वास्थ्य परिचया योजनाएं

1132. श्री f

श्री त

श्री श्व

श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उफ

f

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने को कृपा करगे कि:

- ( ) सरकार द्वारा सभी अन्य समूहों के रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की योजनाओं का ब्यौ क ;
- ( ) इस संबंध में प्रस्तावित योजना , ष f िं प्र f , का ब्यौरा क्या है;
- ( ) ष ल प्र म िं के उत्तर प्रदेश ज / ज क्षेत्र- ष f ;
- ( ) क 10000 रु ष f , त ष क ;
- ( ) क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के f , त ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण ह?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य त्र (श्री श्व )

- (क) और (ख): सावजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है; , सभी आय वर्ग के रोगियों को चिकित्सा प्रदान करने को जिम्मेदारी संबंधित राज्य / संघ राज्य सरकारों को है। हालाँकि, त्र प्रमुख कार्यक्रम - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) - िं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के साथ राज्यों/केंद्रशासित

प्रदेशों को अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सहायता करता है ताकि वे न , सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सावजनिक सुगमता प्रदान कर सकें।

रू 1 - स 1 स स्थ 1 ओं  
1 ( 1 -1 पर है) के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम के तहत सहायता म मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, सावभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और तर्पेदक, / डू, 1 , 1 , कुष्ठ रोग आदि जैसे वेक्टर जनित रोगों जैसे प्रमुख रोगों के लिए मुफ्त सेवाओं के एक समूह प्र

अन्य मुख्य पहलों म जननी शिशु सु क्ष ( ) ( : ल , : ल , : ल क्त , घर से लेकर संस्थान तक निःशुल्क 1 , सुविधा केन्द्रों 1 : ल परिवहन सुविधा प्रदान को जाती है), 1 स्वस्थ कार्यक्रम (आरबीएसके) (जिसम उत्तरजीविता को गुणवत्ता म सुधार करने के लिए नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य जांच और जन्म के दोषों, 1 1, 1 त : ल उपचार सेवाएं प्रदान को जाती है), : ल : ल डायलिसिस कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म स्वास्थ्य सेवा को सुगमता म सुधार के लिए एनएचएम को सहायता के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) और टेलीमेडिसिन भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

- गत वर्ष म आरंभ किए गए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत समग्र और एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्र 1 स स्थ कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने के लिए प्रमुख
- यह स्वास्थ्य और कल्याण कद्र घटक (एबी- ब्ल ) श प्र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान को जाती ह 1 , नवजात और बाल स्वास्थ्य सेवाएं जिनम ; इस प्रकार बच्चों के महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों के दौरान महत्व मानव विकास को बढ़ावा मिलता है। ये कद्र सामान्य एनसीडी और प्रमुख संचारी रोगों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए भी सेवाएं प्रदान करते हैं।
- न , -प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- ) 500 मिलियन गरीब और वंचित लोगों को द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल देखभाल के लिए निःशुल्क त देखभाल प्रदान को जाती है।
- 1 1 ओं , देश के विभिन्न हिस्सों म राज्य कसर संस्थानों (एससीआई) और तृतीयक देखभाल कसर कद्रों (टीसीसीसी) को स्थापना म स लिए कसर योजना को ढीकरण किया जा रहा है। अपने विभिन्न पहलुओं म ऑन्कोलॉजी म नए एम्स और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत कई उन्नत संस्थानों के मामले म ध्यान कद्रित किया गया है।
- राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन), स्वास्थ्य मंत्री कसर रोगी निधि ( ) स स्थ 1 ( ) ओं 1 रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान को जाती है।

- मरीजों को रियायती मूल्य पर कार्डियोवस्कुलर डिजीज (सीवीडी), ः  
दवाएं और प्रत्यारोपण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपचार हेतु सस्ती दवा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण  
( )

(ग): आयुष्मान भारत म सेवाएं- सेवा क्षेत्र म रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण कद्र  
( - ब्ल ) : ल और सावजनिक ह।

घ - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- ) , अस्पतालों को राज्य/ संघ  
ज क्षेत्र- ख ग -II

( ) ( .): - f ( )  
10.74 , वंचित परिवारों को प्रति 5.00 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वष तक का  
स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। पात्रता मानदंड का ब्यौ ग -III

\*\*\*\*\*

सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं चलाई जाती हैं:

प्र \_\_\_\_\_, बाल और किशोर स्वास्थ्य

- \_\_\_\_\_ क्ष ( \_\_\_\_\_ )
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)
- \_\_\_\_\_ क्र
- \_\_\_\_\_ इन्द्रधनुष (एमआई)
- \_\_\_\_\_ क्ष ( \_\_\_\_\_ )
- प्र \_\_\_\_\_ र्ष क्ष ( \_\_\_\_\_ )
- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके)
- परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- \_\_\_\_\_ क्ष क्र (प्र \_\_\_\_\_ क्ष \_\_\_\_\_ त्त \_\_\_\_\_ )
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय आयोडीन अल्प \_\_\_\_\_ त्र \_\_\_\_\_ क्र
- \_\_\_\_\_ बच्चों के पोषण के लिए मां (मदस एक्सोस्यूट अफेक्शन) कार्यक्रम
- राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीएफ)
- राष्ट्रीय आयरन प्लस एनीमिया नियंत्रण पहल
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय \_\_\_\_\_ कार्यक्रम (आईडीएसपी)
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)
- राष्ट्रीय कुछ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी)
- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी)
- पल्स पोलियो कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)
- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय \_\_\_\_\_ -माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) रोकथाम कार्यक्रम
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय \_\_\_\_\_ रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)
- राष्ट्रीय व्यावसायिक रोग नियंत्रण एवं \_\_\_\_\_ क्र
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय \_\_\_\_\_ त्र \_\_\_\_\_ क्र ( \_\_\_\_\_ )
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम ( \_\_\_\_\_ )
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी)
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय \_\_\_\_\_ स्वास्थ्य देखभाल राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई)
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय \_\_\_\_\_ रोकथाम और प्रबंधन कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआई)
- \_\_\_\_\_ र्ष्ट्रीय \_\_\_\_\_ स्वास्थ्य कार्यक्रम

24.06.2019 े रे		
क्र. .	ज	र ताल म भतियों को सं.
1	श्री	22
2	ध्र प्र	135,346
3	अरुणाचल प्रदेश	652
4		47,631
5		48,711
6		835
7	र्त	564,568
8		12,081
9		4,465
10		1,415
11		487,636
12	र्ि	27,811
13	प्र	19,145
14	जम्मू और कश्मीर	19,303
15		184,760
16		197,799
17		531,740
18	लक्षद्वीप	-
19	द प्र	96,029
20	ष्ट्र	139,906
21		3,289
22		15,404
23		13,422
24		945
25	सिक्किम	122
26		239,438
27	त्रे	17,505
28	त्त प्र	119,204
29	त्त	49,815
30	श्रे	17,636
		2,996,635

- च - त्र - f व्य  
मानदंडों के आधार पर तय किया जाना है।
- ग्रामीण क्षेत्र म विभिन्न श्रेणियां :

र : f : (शामिल किए गए 5 मापदंडों म से किसी को भी पूरा करने के आधार पर)  
 . श्र f  
 . श्रे , भिक्षा पर निर्भर  
 . f  
 . f  
 . रू  
 ( ) ( . ) = 15.95

	f
च दीवारों और कच्ची ( 1)	2.38
16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं ( 2)	65.33
16 से 59 वर्ष के बीच बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाली महिला मुखिया ( 3)	69.43
विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य ( 4)	7.20
/ f ( 5)	3.87
25 वर्ष से ऊपर कोई साक्षर वयस्क नहीं ( 6)	4.22
भूमिहीन परिवारों जिनको आय का बड़ा हिस्सा मैनूअल कैजुअल लेबर से प्राप्त होता ( 7)	5.40
कुल वंचित परिवारों को पीएम- के लिए लक्षित किया 1, 2, 3, 4, 5 7 म से एक ह।	8.03

शहरी क्षेत्रों के लिए, 11 परिभाषित व्यावसायिक श्रेणियां योजना के तहत हकदार ह। लक्षित शरी घरेलू श्रेणियां न -  
 म शामिल करने का प्रस्ताव : 2.33

क्र. .	कर्मियों े श्रे	f
1	Rag picker	23,825
2	Beggar	47,371
3	Domestic worker	6,85,352
4	Street vendor/ Cobbler/hawker / Other service provider working on streets	8,64,659
5	Construction worker/ Plumber/ Mason/ Labor/ Painter/ Welder/ Security guard/ Coolie and other head-load worker	1,02,35,435
6	Sweeper/ Sanitation worker / Mali	6,06,446
7	Home-based worker/ Artisan/ Handicrafts worker / Tailor	27,58,194
8	Transport worker/ Driver/ Conductor/ Helper to drivers and conductors/ Cart puller/ Rickshaw puller	27,73,310
9	Shop worker/ Assistant/ Peon in small establishment/ Helper/ Delivery assistant / Attendant/ Waiter	36,93,042
10	Electrician/ Mechanic/ Assembler/ Repair worker	11,99,262
11	Washer-man/ Chowkidar	4,60,433
कुल लक्षित शहरी परिवार		2.33

पीएमजेएवाई के तहत कवर किए गए कुल परिवार

क्र. .	श्रे	f ( रु )
1	i) Rural (based on deprivation criteria)	8.03
	ii) Rural (automatically included)	0.16
2	Urban	2.33
3	Such number of families that are currently enrolled under RSBY but not in targeted SECC data	0.22
		10.74

